भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1462

15 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु प्रतिरोधक्षम कृषि पद्धतियाँ

1462 श्री इमरान प्रतापगढ़ीः

श्री दिग्विजय सिंहः

श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्रीमती रंजीत रंजनः

डा. अमी याज्ञिकः

श्री धीरज प्रसाद साहूः

श्री के.सी. वेणुगोपालः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले खाद्य संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जलवायु संकट, मौसम की विषम परिस्थितियों, अनियमित वर्षा और सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है और संरचनात्मक ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक और भविष्य में प्रभावित होने वाले लोगों को खाद्य और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ): चरम मौसम, अनियमित वर्षा और सूखे जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। हालाँकि सरकार, खाद्यान्न उत्पादन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएसए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के मिशनों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल बनाने

और सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए कार्यनीतियों को विकसित करना और कार्यान्वित करना है। एनएमएसए को तीन प्रमुख घटकों नामतः वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी); ऑन-फार्म जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम); और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके उपरांत, नए कार्यक्रम जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) आदि को भी शामिल किया गया। हालाँकि यह समझा जाता है कि जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है लेकिन प्रौद्योगिकी की मदद से नकारात्मक प्रभावों से प्रभावी ढंग से निपटा गया है। सरकार के हस्तक्षेप से, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बावजूद पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
खाद्यान्न उत्पादन	285.21	297.50	310.74	315.72	329.687

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कार्यान्वित किया, जो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहनीय कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण में भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी अर्थात देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवरेज प्रदान करता है।

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु परिवर्तन की स्थिति में घरेलू खाद्य उत्पादन को सतत रूप से बनाए रखने की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है, जिसका नाम राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मात्स्यिकी सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना तथा कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है, जो इस संबंध में देश के संवेदनशील क्षेत्रों की सहायता करेगा और परियोजना के आउटपुट से सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी चरम मौसम परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील जिलों और क्षेत्रों को मदद मिलेगी। आईसीएआर के अंतर्गत मुख्य उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

1. आईसीएआर ने वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए क्षेत्रीय फसलों की 2380 उच्च उपज वाली किस्मों/संकर किस्मों की सूची जारी

की है, जिनमें से 1888 किस्में जैविक एवं अजैविक तनाव के प्रति सहिष्णु हैं।

2. कृषक समुदायों के बीच व्यापक रूप से अपनाने के लिए 68 स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया और लोकप्रिय बनाया गया है।
3. 650 जिलों के लिए कृषि आकस्मिकता योजनाएँ तैयार की गईं और इन्हें नीति निर्माताओं को मानसून में देरी और अन्य चरम मौसम की घटनाओं की स्थिति में निर्णय लेने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।
4. जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि का जिला स्तरीय जोखिम और संवेदनशीलता मूल्यांकन तैयार किया गया है, जो विकास कार्यक्रमों के लिए संसाधनों को प्राथमिकता देने हेतु कई मंत्रालयों/विभागों के लिए उपयोगी है।
5. संवेदनशीलता मूल्यांकन के आधार पर, 446 गांवों को कवर करने वाले 151 समूहों में किसानों के खेतों पर जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का डेमो दिया जा रहा है।

सरकार ने किसानों को जलवायु संबंधी खतरों से बचाने के लिए खरीफ 2016 से प्रमुख उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल हानि/नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन को बढ़ावा देना और खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत फसल-पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक नुकसान सहित पूरे फसल चक्र के लिए सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, ओलावृष्टि, जल आप्लावन आदि जैसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

*****